

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15()2014/गोप्र/प्रमुवसं/2318/सी दिनांक 21.07.2015 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री दीप चन्द, कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पश्चात् पदस्थापन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा में किया जाकर दिनांक 22.07.2015 तक उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये थे। श्री सतीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के मदेनजर पदोन्नति पर जाने में असमर्थता दर्शायी है। श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा पदोन्नति पर उपस्थिति देने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि यह पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तथा इनकी वरिष्ठ लिपिक के पद पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2318/सी दिनांक 21.07.2015 से दी गई पदोन्नति निरस्त की जाती है।

Sol
(डॉ. एस.एस.चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हौफ)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.15()2014/गोप्र/प्रमुवसं/2403-2408/c

दिनांक: 29.7.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा।
2. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा।
3. श्री सतीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, काया. हाजा को विभागीय वबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्मिक स्ट्रेन्थ, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

Shirna

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।